//जय अग्रसेन//

संशोधित

श्री अग्रवाल समाज केन्द्रीय समिति (रजि.) इन्दौर,

नियमावली

(1) **संस्था का नामः** श्री अग्रवाल समाज केन्द्रीय समिति रहेगा।

(2) **संस्था का कार्यालयः** संस्था का मुख्य कार्यालय, इंदौर जिले के इंदौर तहसील में 410–411, चेतक सेंटर, 12/2 आर.एन.टी. मार्ग, इंदौर (म.प्र.) पर रहेगा।

(3) **संस्था का कार्य क्षेत्रः** सम्पूर्ण मध्यप्रदेश रहेगा।

(4) **संस्था का मुख्य उद्देश्यः–**

1. महाराजा अग्रसेन महाराज के सिद्वांतो, आदर्शों का प्रचार प्रसार करते हुए उनके वंशजों तथा आम जनता को श्रेष्ठ जीवन यापन की और अग्रसर करना।
2. भाईचारा, राष्ट्रीय प्रभुत्व एवं मैत्री, प्रेम को बढ़ावा देना, जिससे अग्रवाल समाज के सभी वर्गो का हित रक्षण हो सके तथा राष्ट्रीय विकास में अहम् भूमिका निभा सके। इस हेतु गोष्ठी, जलसों आदि का आयोजन करना।
3. समाज में व्याप्त कुरितियों एवं अंधविश्वास को दूर कर स्वस्थ परंपराओं को बढ़ावा देना। इस उद्देश्य के लिए अन्य संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना।
4. समाज के सभी वर्गो तथा संगठनो का प्रतिनिधित्व कर एकता, सशक्त संगठन तथा केन्द्रीयता को महत्व देना। संघीय संगठन के रूप में कार्य करना।
5. सामाजिक कल्याण के संपवर्तन की भावना से कार्य कर, राष्ट्रीय हित, चिंतन, एकता एवं अखण्डता को प्रमुखता प्रदान करना।
6. समाज कि प्रतिभाओं एवं सामाजिक उत्थान के प्रति समर्पित व्यक्तियों का सम्मान करना, जिससे सतत् समर्पण की भावना का विकास हो।
7. सार्वजनिक एवं पारमार्थिक कार्य जिससे निर्धन को राहत, सभी को शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधा, खेलो की प्रगति, सामान्य लोक हित के विकास के कार्य सम्पादित हो।
8. महिलाओं, बालकों व युवतियों के सर्वागीण विकास के लिये कार्य करना, तदसंबधी योजनाये बनाना, प्रकोष्ठ का गठन करना व उनके विकास से संबधित आयोजन करना।
9. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भूमि, स्थाई सम्पत्ति कय/लीज/दान आदि द्वारा ग्रहण कर उसका संचालन करना।

(5) **सदस्यताः** संस्था में निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होगें :–

(1) संरक्षक (2) आजीवन (3) संस्थागत (प्रतिनिधी) (4) वार्षिक (5) सम्मानिय।

1. **संरक्षक सदस्यः** संस्था को जो व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में सदस्यता के लिये आवेदन करे तथा इसके लिये निर्धारित राशि एक मुश्त भुगतान करे वह संस्था का संरक्षक सदस्य होगा।
2. **आजीवन सदस्यः** संस्था को जो व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में आजीवन सदस्यता के लिये आवेदन करे तथा इसके लिये निर्धारित राशि एक मुश्त में भुगतान करे वह संस्था का आजीवन सदस्य होगा।

अध्यक्ष	महामंत्री	सयोजक	कोषाध्यक्ष
कुलभूषण मित्तल "कुक्की"	अरविंद बागडी	गोविंद सिंघल	किशोर गोयल

3. **संस्थागत (प्रतिनिधी) सदस्यः** संस्था के उद्देश्यो को मानने वाली अन्य संस्था निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर संस्थागत सदस्यता के लिये आवेदन करे तथा इसके लिये निर्धारित राशि प्रवेश शुल्क के रूप में भुगतान करे वह संस्थागत सदस्य के रूप में दर्ज होगी संस्था की सदस्य संख्या 25 तक होने पर 1 प्रतिनिधी तथा 25 से अधिक प्रत्येक 25 सदस्य पर एक प्रतिनिधि के मान से अधिकतम चार प्रतिनिधी संस्था की ओर से केन्द्रिय समिति में प्रतिनिधित्व करेंगे। संस्था की ओर से अधिकृत प्रतिनिधी सदस्य वार्षिक साधारण सदस्य होगा जिसे सभा में बोलने, मत देने का अधिकार, एवं स्वयं पद धारित करने का अधिकार होगा। प्रत्येक प्रतिनिधी को केन्द्रिय समिति को वार्षिक शुल्क देना होगा। सदस्य संस्था द्वारा आवेदन करने पर प्रतिनिधी बदले जा सकेंगे किन्तु एक बार निर्वाचन नामावली में शामिल सदस्य (प्रतिनिधी) आगामी निर्वाचन नामावली के प्रकाशन तक नही बदले जा सकेगें। इस श्रेणी के सदस्य संस्थागत प्रतिनिधी सदस्य कहलायेगे प्रत्येक प्रतिनिधी को निर्धारित वार्षिक शुल्क देना होगा।

4. **वार्षिक सदस्यः** संस्था को जो व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में वार्षिक सदस्यता के लिये आवेदन करे तथा इस संबंध में निर्धारित राशि प्रवेश शुल्क के रूपये जमा करे वह संस्था का वार्षिक सदस्य होगा। तथा प्रत्येक वार्षिक सदस्य को निर्धारित वार्षिक शुल्क देय होगा ।

5. **सम्मानिय सदस्यः** संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियो को अपने कार्यकाल में उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्मानिय सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य साधारण सभा में भाग ले सकते हैं परन्तु उसको मत देने का अधिकार नही होगा ।

(6) सदस्यता शुल्कः वर्तमान में सदस्यता प्रवेश एवं वार्षिक शुल्क निम्नानुसार हैं जिसे साधारण सभा की सहमती से समय–समय पर बढाया जा सकेगा। प्राप्त प्रवेश शुल्क की राशि में से 30 प्रतिशत राशि संस्था बैंक एफ.डी. अथवा सम्पत्ति कय पर खर्च करेगी जो कि स्थाई रहेगा।

1. संरक्षक सदस्यः संरक्षक सदस्य की श्रेणी में सदस्यता हेतु प्रवेश शुल्क राशि रू. 11000/– हैं जो एक बार देय होगा । संरक्षक सदस्य से कोई वार्षिक शुल्क नही लिया जावेंगा ।
2. आजीवन सदस्यः आजीवन सदस्य श्रेणी में सदस्य हेतु प्रवेश शुल्क राशि रू. 5000/– हैं जो एक बार देय होगा। आजीवन सदस्य से वार्षिक शुल्क नही लिया जावेगा।
3. संस्थागत प्रतिनिधी सदस्यः संस्थागत प्रतिनिधी सदस्य श्रेणी हेतु प्रवेश शुल्क राशि रू. 2100/– संस्था हेतु है जो एक बार देय है। प्रत्येक प्रतिनिधी सदस्य को प्रतिवर्ष रू. 100/– वार्षिक शुल्क अनिवार्य देना होगा।
4. वार्षिक सदस्यः वार्षिक सदस्य श्रेणी में सदस्यता हेतु प्रवेश शुल्क रू. 500/– होगी तथा वार्षिक सदस्य को रू. 100/– प्रतिवर्ष वार्षिक शुल्क अनिवार्य देना होगा।
5. सम्मानिय सदस्यः सम्मानिय सदस्य अध्यक्ष/प्रबंधकारिणी द्वारा सिमित समय के लिये नियुक्त किये जावेंगे जिनसे कोई शुल्क नही लिया जावेगा। एसे सदस्यो की संख्या 20 से अधिक नहि होगी।

अध्यक्ष	महामंत्री	संयोजक	कोषाध्यक्ष
कुलभूषण मितल "कुक्की"	अरविंद बागड़ी	गोविंद सिंघल	किशोर गोयल

अविरत.....3

(7) सदस्यता की प्राप्तिः संस्था के उद्देश्यो एवं नियमो के प्रति श्रद्वा एवं विश्वास रखने वाला प्रत्येक अग्रवाल व्यक्ति अथवा संगठन जो अग्रवाल समाज केन्द्रीय समिति की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हो लिखित रूप में संस्था के नियमानुसार आवेदन करेंगे तथा ऐसे आवेदन पत्र ''प्रबंधकारिणी समिति'' को प्रस्तुत होगा। प्रबंधकारिणी समिति को, सदस्यता आवेदन को विशेष कारण होने पर अमान्य करने का अधिकार होगा। कोई भी व्यक्ति केवल किसी भी एक श्रेणी की ही सदस्यता ग्रहण कर सकेगा। दो श्रेणी की सदस्यता की दशा में सदस्य की इच्छानुसार किसी भी एक श्रेणी कायम की जाकर शेष मे से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

(8) सदस्यता की योग्यताः संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी आवेदनकर्ता में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक हैं।

1. भारतीय नागरिक हो एवं अग्रवाल समाज की रिती–निती को मानता हो।
2. व्यक्ति की दशा में आयु 18 वर्ष से कम ना हो ।
3. संस्था के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो ।
4. सदचरित्र हो ।
5. अपराधिक गतिविधीयो गें संलग्न न हो।
6. संस्थागत (प्रतिनिधी) सदस्य सदस्यता की दशा में आवेदन करने वाली संस्था के सदस्यों की संख्या कम से कम 11 हो तथा वैधानिक प्रस्ताव पारित कर आवेदन दिया हो।

(9) सदस्यता की समाप्तिः संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जायेगी ।

1. सदस्य की मृत्यु हो जाने पर।
2. सदस्य के पागल हो जाने पर।
3. संस्थागत प्रतिनिधी सदस्यता की दशा में संस्थागत (प्रतिनिधी) सदस्य संस्था की सदस्य संख्या न्युनतम 11 से कम हो जाने पर अथवा सदस्य संस्था द्वारा वैधानिक प्रस्ताव पारित करके सदस्यता से पृथक किये जाने के आवेदन पर।
4. संस्था को देय शुल्क एवं बकाया रकम नियमानुसार नही दिये जाने पर उचित सुचना के पश्चात्।
5. सदस्य में चारित्रीक दोष सिद्ध होने पर।
6. संस्था से त्यागपत्र देने पर एवं वह स्वीकार होने पर।

(10) संस्था कार्यालय में निम्न पंजी (रजिस्टर) रखे जावेंगे :–

1. सदस्य पंजिः– सदस्य पंजि में सदस्य का नाम, पता, सदस्यता दिनांक एवं सदस्यता समाप्ति की दशा में समाप्ति दिनांक दर्ज की जावेगी।
2. साधारण सभा बैठक विवरण पंजिः– साधरण सभा का सम्पूर्ण कार्यवाही विवरण एवं उपस्थित सदस्यो के हस्ताक्षर दर्शाने वाली पंजि।
3. प्रबन्धकारिणी बैठक विवरण पंजिः– प्रबन्धकारिणी का सम्पूर्ण कार्यवाही विवरण उपस्थित सदस्यो के हस्ताक्षर दर्शाने वाली पंजि।
4. महत्वपूर्ण निर्णय पंजिः– साधारण सभा, विशेष साधारण सभा एवं संविधान संशोधन के तहत में हुये महत्वपूर्ण निर्णयो को दर्शाने वाली विवरण की पंजि रखी जावेगी।
5. रोकड़ बही पंजीः– रोकड़ बही खाते इत्यादी दर्शाने वाली विवरण की पंजी रखी जावेगी।

अध्यक्ष	महामंत्री	संयोजक	कोषाध्यक्ष
कुलभूषण मित्तल ''कुक्की''	अरविंद बागडी	गोविंद सिंघल	किशोर गोयल

(11) (अ)साधारण सभाः साधारण सभा में नियम (5) मे दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्कतानुसार हुआ करेंगी। परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैंठक का माह तथा बैंठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निशचित कर प्रत्येक सदस्य को कम से कम 15 दिन पूर्व सुचना देना अनिवार्य होगा। बैठक का कोरम 51 प्रतिशत सदस्यों का होगा। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नही हो तो आधा घंटे के लिये बैठक स्थगित की जाकर उसी स्थान पर पुनः की जावेगी। जिसमे कोरम का कोई बंधन नही होकर लिये गये निर्णय मान्य होंगे।

(ब) प्रबंधकारिणी सभाः प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक तीन माह में अनिवार्य रूप से आयोजित होगी। तथा बैठक का एजेन्डा तथा सुचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होंगी। यदि बैठक का कोरम पुर्ण नही होता है तो, बैठक आधा घंटे के लिये स्थगित की जाकर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त नही होगी ।

(स) विशेष साधारण सभाः प्रबंधकारिणी समिति के 75 प्रतिशत सदस्यो अथवा साधारण सभा की कम से कम संख्या (कुल सदस्यों की संख्या) के 35 प्रतिशत सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करे तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये विशेष साधारण सभा की बैठक बुलाई जावेगी। लिखित आवेदन अध्यक्ष के नाम पर महामंत्री को देना होगा। आवेदन पत्र प्राप्ति के 15 दिन में महामंत्री अध्यक्ष की सहमति से विशेष साधारण सभा का आयोजन करेंगे।

(12) साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य

1. संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण, प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
2. संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
3. आगामी वर्ष के लिये लेखा परिक्षको की नियुक्ति करना।
4. अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।
5. संस्था द्वारा संचालित सुचनाओं एवं आय–व्यय पत्रकों को स्वीकृति करना।
6. बजट का अनुमोदन करना।
7. नियम, उप नियम बनाना।

(13) प्रबंधकारिणी का गठनः प्रमुख संरक्षक एवं सलाहकार मंडल के 5 स्थाई सदस्यो को छोडकर शेष प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन संस्था अध्यक्ष (मुख्य निर्वाचन अधिकारी) के रूप में अपने चुनाव सहयोगियों (जो उम्मिदवार न हो) की कमेटी का गठन कर विधिवत सम्पन्न करवायेंगे। इस हेतु आचार संहिता भी जारी की जावेंगी।

संस्था की प्रबंधकारिणी में निम्न सदस्य होंगे :–

1.	प्रमुख संरक्षक	–	एक
2.	प्रमुख परामर्शदाता	–	(सलाहकार मंडल में से एक)
3.	सलाहकार मण्डल	–	पन्द्रह
4.	अध्यक्ष	–	एक
5.	उपाध्यक्ष	–	एक
6.	महामंत्री	–	एक
7.	संयोजक	–	एक
8.	कोषाध्यक्ष	–	एक
9.	सहमंत्री	–	एक
10.	सह संयोजक	–	एक
11.	कार्यकारिणी		तेरह (जिसमें तीन महिला अनिवार्य)

अध्यक्ष — महामंत्री — संयोजक — कोषाध्यक्ष

कुलभूषण मित्तल "कुक्की" अरविंद बागडी गोविंद सिंघल किशोर गोयल

1. **निर्वाचन हेतु योग्यता**:– संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति के निर्वाचन/गठन में भाग लेने के लिये अग्रवाल बन्धु/बहिन का संस्था की सदस्यता की प्रथम चार श्रेणी में से किसी एक का नियमित सदस्य होना आवश्यक हैं। अयोग्य सदस्य (शुल्क बकाया होने से) निर्वाचन प्रकिया में भाग नही ले सकेंगे। प्रबन्धकारिणी समिति के लिये निम्नानुसार योग्यता पद अनुसार रहेंगी ।

2. **कार्यकारिणी समिति**:– 13 सदस्य की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जावेगा। कोई भी व्यक्ति लगातार तीन बार से अधिक कार्यकारिणी समिति का सदस्य नही हो सकेगा।

3. **सह संयोजक**:– सह संयोजक का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जावेगा। इस हेतु उम्मीद्वार को संस्था का नियमित सदस्य होना आवश्यक हैं तथा एक सदस्य लगातार दो बार से अधिक यह पद धारण नहीं कर सकेगा।

4. **सहमंत्री**:– सहमंत्री का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जावेगा। इस हेतु उम्मीद्वार को संस्था का नियमित सदस्य होना आवश्यक है तथा कोई भी सदस्य लगातार दो बार से अधिक यह पद धारण नही कर सकेगा।

5. **कोषाध्यक्ष**:– कोषाध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जावेगा। इस हेतु उम्मीद्वार को संस्था का नियमित सदस्य होना आवश्यक है। कोई भी सदस्य लगातार दो बार से अधिक यह पद धारण नही कर सकेगा।

6. **संयोजक**:– संयोजक का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जावेगा। इस हेतु उम्मीद्वार को संस्था का नियमित सदस्य होना आवश्यक है। कोई भी सदस्य लगातार दो बार से अधिक यह पद को धारण नही कर सकेगा।

7. **महामंत्री**:– महामंत्री का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जावेगा। इस हेतु उम्मीद्वार को संस्था का नियमित सदस्य होना आवश्यक है। कोई भी सदस्य लगातार दो बार से अधिक महामंत्री पद को धारण नही कर सकेगा।

8. **अध्यक्ष**:– अध्यक्ष का चयन 35 सदस्य जिनमें प्रमुख संरक्षक, प्रमुख परामर्श दाता, सलाहकार मंडल, प्रबन्धकारिणी समिति के निर्वाचित सदस्य होंगे वे करेंगे। अध्यक्ष का निर्वाचित प्रबंधकारिणी समिति का सदस्य होना आवश्यक नही हैं। अध्यक्ष पद हेतु सदस्य की उम्र 40 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक हैं तथा इस पद हेतु उसका संस्था का नियमित सदस्य होना तथा चुने जाने पर इस पद हेतु उसकी स्वयं की लिखित स्वीकृति आवश्यक होगी। कोई भी व्यक्ति लगातार अध्यक्ष नही हो सकेगा। एक नाम पर आम सहमति नहा बनने पर गुप्त मतदान प्रणाली से अध्यक्ष चयन की कार्यवाही की जावेगी।

9. **सलाहकार मंडल**:– 15 सदस्य के सलाहकार मंडल में उपरोक्त उल्लेखित सदस्यों द्वारा प्रबंधकारिणी निर्वाचन समय के गत् 4 एवं वर्तमान अध्यक्ष सहित 5 सदस्य स्वमेव निर्वाचित रहेंगे। शेष 10 सदस्यो की नियुक्ति संस्था के प्रमुख संरक्षक,सलाहकार मंडल के 5 स्वमेव निर्वाचित सदस्यो, एवं निर्वाचित प्रबंधकारिणी की राय से करेंगे। कमानुसार 5 बार से पूर्व का अध्यक्ष जो की सलाहकार मंडल के स्वमेव निर्वाचित पद से निवृतमान हो चुका होगा, उस सदस्य को नियुक्त होने वाले 10 सदस्यीय सलाहकार मंडल में नियुक्त किया जा सकेगा।

अध्यक्ष	महामंत्री	संयोजक	कोषाध्यक्ष
कुलभूषण मित्तल "कुक्कू"	अरविंद बागर्ड।	गोविंद सिंघल	किशोर गोयल

अविरत.....6

10. **प्रमुख परामर्श दाता**:– प्रमुख परामर्श दाता की नियुक्ति सलाहकार मंडल के 15 सदस्यो में से प्रमुख संरक्षक द्वारा की जावेगी। कोई भी सदस्य लगातार दो बार से अधिक यह पद धारण नही कर सकेंगे।

11. **प्रमुख संरक्षक**:– प्रमुख संरक्षक पद पर सस्था के संस्थापक श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल स्थाई रूप से आजीवन रहेंगे।

(14) प्रबंधसमिति का कार्यकाल:– प्रबंध समिति का कार्यकाल दो वर्ष होगा। प्रबंधकारिणी समिति उचित कारण होने पर उस समय तक जब तक की नई प्रबधंकारिणी समिति का विधीवत गठन नही हो जाता कार्य करती रहेगी। किन्तु उक्त अवधि 3 माह से अधिक नही होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से करना अनिवार्य होगा।

(15) प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :–

1. जिन उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु संस्था का गठन हुआ हैं उसकी पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।
2. पिछले वर्ष का आय व्यय का लेखा पुर्णतः परिक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।
3. संस्था एवं उसके अधिन संचालित समिति के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना, संस्था की चल–अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।
4. कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना, संस्था के कार्य संचालन हेतु कमेटी, सह कमेटी आदि का निर्माण करना।
5. अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौंप दिया जायें।
6. संस्था की समस्त चल–अचल सम्पत्ति कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेंगी।
7. संस्था द्वारा कोई भी स्थावर समपत्ति, साधारणसभा अथवा रजिस्ट्रार की अनुमति बिना अन्तरित नही की जायेंगी।
8. संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विर्मश कर साधारण सभा की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करेंगो।
9. प्रबंधकारिणी में कोई पद रिक्त होने पर उसका आमसहमति से सहयोजन (नियुक्तिकरना)
10. संस्था के व्यवस्थित संचालन हेतु उपनियम, सहनियम एवं आचार संहिता बनाना।

(16) प्रमुख संरक्षक के अधिकार:– प्रमुख संरक्षक द्वारा संस्था के चलाये जा रहे कार्यकमो के समन्वय हेतु अध्यक्ष को दिशा निर्देश प्रदान करेंगे।

(17) प्रमुख परामर्शदाता: समय–समय पर सलाहकार मंडल एवं प्रबंधकारिणी के साथ बैठक आयोजित कर संस्था के उद्देश्यो की पूर्ति के लिये आमसहमति तैयार करना।

(18) सलाहकार मंडल: प्रबंधकारिणी का हिस्सा होकर सलाहकार मंडल अपने अनुभवों से प्रबंध समिति को सलाह प्रदान कर संस्था के कार्यो को संचालन हेतु सहयोग प्रदान करेगा।

अध्यक्ष	महामंत्री	संयोजक	कोषाध्यक्ष
कुलभूषण मित्तल "कुक्की"	अरविंद बागडी	गोविंद सिंघल	किशोर गोयल

अविरत.....7

(19) अध्यक्ष के अधिकारः— अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठको की अध्यक्षता करेगा महामंत्री द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा । अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा। संस्था के नियमित कार्यकमों को सहयोगी पदाधिकारियों के साथ सम्पन्न कराने का दायित्व भी अध्यक्ष का होगा।

(20) उपाध्यक्ष के अधिकारः— अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्षता के समस्त अधिकारो का उपयोग करेगा। सामान्य दशा में अध्यक्ष को पुर्ण सहयोग देकर कार्य निर्वाहन में सहायता करेगा। संस्था के उपाध्यक्ष अध्यक्ष के निर्देशानुसार वर्गीकृत क्षेत्र को कुशलता से संभालेंगे।

(21) महामंत्री के अधिकारः—

1. साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो उसे प्रस्तुत करना।
2. समिति का आय व्यय का लेखा परिक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना ।
3. समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरिक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सुचना प्रबंधकारिणी को देना ।
4. संस्था के उद्धेश्यो की पूर्ति के लिये कोषाध्यक्ष के साथ धन संग्रह की रूपरेखा तैयार करना महामंत्री का दायित्व होगा।
5. महामंत्री को किसी कार्य के लिये एक समय में रूपये 5000/— खर्च करने का अधिकार होगा।

(22) संयोजक के अधिकारः— संस्था के कार्यकम की रूपरेखा तैयार कर सदन के समक्ष प्रस्तुत करना, स्वीकृति प्राप्त करना, खर्च की व्यवस्था करना एवं महामंत्री, कोषाध्यक्ष के सहयोग से हिसाब तैयार करना। अध्यक्ष की सहमति से किसी विशेष कार्यकम हेतु सहयोगी समिति का गठन करना। संस्था के सालाना जलसे की तैयारी करना संयोजक का दायित्व होगा। संयोजक के पास किसी कार्य के लिये एक समय में रू. 5000/— खर्च करने का अधिकार होगा।

(23) कोषाध्यक्ष के अधिकारः— समिति की धनराशि का पुर्ण हिसाब रखना तथा अध्यक्ष, महामंत्री या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना। सदस्यों से वार्षिक शुल्क एवं महामंत्री, संयोजक के साथ दान–दाताओ से दान राशि संग्रह करने का दायित्व कोषाध्यक्ष का होगा।

(24) बैंक खाताः— संस्था की समस्त निधि किसी अनुसुचित बैंक या पोस्ट ऑफिस, राष्ट्रीय कृत बैंक में रहेंगी। धन का आहरण अध्यक्ष या महामंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष/महामंत्री/संयोजक के पास अधिकतम नगदी रूपये 15000/— हजार रहेंगे।

(25) शुल्क निर्धारणः— संस्था के प्रवेश शुल्क एवं वार्षिक शुल्क में साधारण सभा की सहमति से समय–समय पर वृद्धि की जा सकेंगी ।

अध्यक्ष	महामंत्री	संयोजक	कोषाध्यक्ष
कुलभूषण मित्तल "कुक्की"	अरविंद बागडी	गोविंद सिंघल	किशोर गोयल

अविरत.....8

(26) दान एवं सहयोग राशिः— संख्या द्वारा संचालित किसी कार्यकम जलसा, जुलुस आदि में किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म, से चंदा अथवा दान या सहयोग राशि प्राप्त की जा सकेगी। ऐसी प्राप्त राशि का उपयोग आयोजित कार्यकम में किया जावेगा। दान, चंदा एवं सहयोग में राशि देने वाले व्यक्ति, फर्म, अथवा संस्था का आयोजित कार्यकम में सहयोगी/प्रायोजक के रूप में नाम प्रकाशित होगा उन्हे एसी राशि के एवज में संस्था की किसी भी श्रेणी की सदस्यता प्रदान नही की जावेगी।

(27) पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारीः— अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 14 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सुची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परिक्षित लेखा भेजेगी।

(28) संशोधनः— संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों के 60 प्रतिशत सदस्यों की स्वीकृती से पारित होगा।

(29) विघटनः— संस्था का विघटन संस्था के कुल सदस्यों के 90 प्रतिशत मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात् संस्था की चल–अचल संपत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सोंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

(30) संपत्तिः— संस्था की समस्त चल तथा अचल संपत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल संपत्ति (स्थावर) साधारण सभा की अनुशंसा एवं रजिस्ट्रार फर्म की लिखित स्वीकृती के बिना विकय द्वारा, दान द्वारा, या अन्यथा प्रकार अन्तरित नहीं की जा सकेगी।

(31) मिनिटस्ः— साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी सभा के स्वीकृत प्रस्ताव ठहराव (मिनिटस्) महामंत्री द्वारा लिखे जायेंगे तथा पंजी पर महामंत्री एवं उपाध्यक्ष/कोषाध्यक्ष हस्ताक्षर करेंगे।

(32) पंजीयक द्वारा बैठक बुलानाः— संस्था की पंजीकृत नियमावली के अनुसार पदाधिकारीयों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर प्रमुख संरक्षक को संस्था की बैठक बुलाने का अधिकार होगा साथ ही वे बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेंगे।

(33) विवादः— संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष, प्रमुख परानर्श दाता, सलाहकार मंडल की पृथक से बैठक आयोजित कर उनकी सलाह से विवाद को सुलझायेंगे। विवादस्पर विषयों में प्रमुख संरक्षक एवं सलाहकार मंडल का निर्णय सर्वमान्य होगा। असंतोष होने पर साधारण सभा का आयोजन कर बहुमत से किया निर्णय रजिस्ट्रार को अंतिम स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावेगा।

अध्यक्ष	महामंत्री	संयोजक	कोषाध्यक्ष
कुलभूषण मित्तल "कुक्की"	अरविंद बागडी	गोविंद सिंघल	किशोर गोयल